भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1587

20 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय:जल संभर परियोजनाएं

1587. श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र में से बुआई क्षेत्र, सिंचित औरअसिंचित क्षेत्र और वर्षासिंचित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है औरइसका प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने देश में वर्षा सिंचित कृषि के विकास हेतुपनधारा परियोजनाओं केइष्टतम उपयोग के लिए कई कदम उठाएहैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी पनधारा परियोजनाएं स्वीकृत औरपूर्ण की गई हैं;

(घ) देश में वर्षा सिंचित कृषि के विशेष विकास हेतु पनधारापरियोजनाओं के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गईधनराशि/राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में वर्षासिंचित कृषि क्षेत्रों के लिएनई पनधारा परियोजनाएं स्वीकृत करनेकी मंशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) वर्ष 2015-16 के लिए भू-उपयोग सांख्यिकी के प्रकाशन (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, निवल बुआई क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र और निवल गैर सिंचित क्षेत्र एवं उनके प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा**अनुबंध-I** दिया गया हैं। वर्षा सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों का रख-रखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ख)भू-संसाधन विभाग ने एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहतवर्ष 2009-10 से 2014-15 तक 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) [अब 27 राज्य तथा जम्मूऔर कश्मीर एवं लद्दाख के 2 संघ राज्य क्षेत्र सहित]में 39.07 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कवर करते हुए 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं। आईडब्ल्यूएमपी को वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में मिला दिया गया था। वाटरशैड विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ टीला

क्षेत्र समतलीकरण, जल निकासी लाइन शोधन, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी गठन, वनीकरण, बागवानी, चरागाह विकास, परिसंपत्तिविहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका, इत्यादि शामिल हैं।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं 2008 के लिए सामान्य दिशा-निर्देश (संशोधित संस्करण 2011) उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रणालियों,जैसे कि प्रक्रिया एवं निष्पादनों की जीआईएस/वेब आधारित ऑनलाइन सहितनियमित निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और तृतीय पार्टी एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र एवं बाह्य निगरानी तथा राज्य, जिला एवं परियोजना स्तरों पर पेशेवर सहायता सहित समर्पित संस्थान का प्रावधान करते हैं। इसके अतिरिक्त, भूमि संसाधन विभाग आवधिक पुनरीक्षा बैठकों, विडियों सम्मेलनों, क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठकों और क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

(ग): वाटरशेड विकास परियोजनाओं 2008 के लिए सामान्य दिशा-निर्देश (संशोधित संस्करण 2011) के अनुसार, पीएमकेएसवाई (वाटरशेड विकास) परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि सात वर्षों तक है। सरकार सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रीत कर रही है और इसलिए वर्ष 2015-16 से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत कोई नई परियोजनाएं संस्वीकृत नहीं की गई है।वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान संस्वीकृतऔरविगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पूर्ण वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): वाटरशेड परियोजनाओं के तहत वर्षा सिंचित एवं गैर-उन्नत क्षेत्रों का विकास करनेके उद्देश्य से,न की देश में विशेष रूप से वर्षा सिंचित कृषि की वृद्धि के लिएनिधि, केंद्रीय स्तर पर प्राथमिक रूप से जारी की जा रही है। शुरूआत से ही केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 19185.26 करोड़ रूपए (दिनांक 16.09.2020 की स्थिति के अनुसार) जारी किए गए हैं और राज्योंसे प्राप्त अनंतिम गैर लेखा परीक्षित के अनुसार लगभग 24670.93 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) का उपयोग किया गया है। इस व्यय में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी, राज्य हिस्सेदारी और उपयोग की गई विविध प्राप्ति शामिल हैं।

(ड़.) भारत सरकार नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर वर्ष 2023-2024 तक 20 मिलियन हैक्टेयर कवर करने के लक्ष्य से देश में वर्षा सिंचित एवं गैर उन्नत क्षेत्रों के विकास के लिए नई पीढ़ी की वाटरशेड परियोजनाएं शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है।

अनुबंध-I

दिनांक 20.09.2020 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1587 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2015-16 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए निवल बुआई क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र और निवल गैर सिंचित क्षेत्र एवं उनके प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा

(हजार हैक्टेयर) (%)

राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	निवल बुआई क्षेत्र*	निवलसिंचित क्षेत्र**	निवलगैर सिंचित क्षेत्र***	निवल सिंचित क्षेत्रसे निवल बुआईक्षेत्र का प्रतिशत	निवल गैर सिंचित क्षेत्रसेनिवल बुआईक्षेत्र का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	6209	2743	3466	44.2	55.8
अरूणाचल प्रदेश	227	56	171	24.6	75.4
असम	2801	297	2504	10.6	89.4
बिहार	5205	2958	2246	56.8	43.2
छत्तीसगढ़	4651	1476	3175	31.7	68.3
गोवा	130	39	92	29.7	70.3
गुजरात	10302	4233	6069	41.1	58.9
हरियाणा	3522	2956	566	83.9	16.1
हिमाचल प्रदेश	551	120	432	21.7	78.3
जम्मू और कश्मीर	754	356	398	47.2	52.8
झारखंड	1386	213	1173	15.3	84.7
कर्नाटक	10006	3243	6764	32.4	67.6
केरल	2023	414	1609	20.5	79.5
मध्य प्रदेश	15149	9284	5865	61.3	38.7
महाराष्ट्र	17192	3215	13976	18.7	81.3
मणिपुर	437	73	364	16.7	83.3
मेघालय	245	80	166	32.4	67.6
मिजोरम	145	16	129	11.2	88.8
नागालैंड	384	104	280	27.0	73.0
ओडिशा	4198	1230	2968	29.3	70.7
पंजाब	4137	4137	1	100.0	0.0
राजस्थान	18024	7938	10086	44.0	56.0
सिक्किम	77	16	62	20.3	79.7
तमिलनाडु	4833	2833	2000	58.6	41.4
तेलंगाना	4175	1486	2688	35.6	64.4
त्रिपूरा	255	81	174	31.9	68.1
उत्तराखंड	698	330	369	47.2	52.8
उत्तर प्रदेश	16469	14231	2238	86.4	13.6
पश्चिम बंगाल	5243	3105	2139	59.2	40.8
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	15	0	15	1.1	98.9
चंडीगढ़	1	0	1	2.3	97.7
दादर एवं नगर हवेली	19	5	14	23.8	76.2
दमन एवं दवी	3		3	0.0	100.0
दिल्ली	22	22		100.0	0.0
लक्ष्यद्वीप	2		2	0.0	100.0
पुदुचैरी	15	13	2	85.8	14.2
अखिल भारत	**139506**	**67300**	**72206**	**48.2**	**51.8**

स्रोतअर्थ :एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

नोट :'0' कासंबंध 500 हेक्टेयर से नीचे के क्षेत्र से है

* यह फसलों और फलोद्यान के साथ बोये गये कुल क्षेत्र को दर्शाता है। समान वर्ष में एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्र की गणना केवल एक बार की जाएगी।

** यह किसी विशेष फसल के लिए एक वर्ष में किसी भी स्रोत के माध्यम से सिंचित क्षेत्र है।

*** यह निवल सिंचित क्षेत्र को निवल बुआई क्षेत्र से घटाने के उपरांत प्राप्त क्षेत्र है।

अनुबंध- II

दिनांक 20.09.2020 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1587 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

संस्वीकृतऔरविगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पूर्ण वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (2009-10से 2014-15 तक)@	वर्षों के दौरान वर्ष-वार पूर्ण परियोजनाएं			
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (16.09.2020 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	432	62	96	0	102
2	अरूणाचल प्रदेश	156	0	0	13	0
3	असम	372	0	57	86	83
4	बिहार	123	0	0	0	49
5	छत्तीसगढ़	263	41	71	49	20
6	गुजरात	610	134	141	17	138
7	हरियाणा	88	0	0	0	15
8	हिमाचल प्रदेश	163	0	0	0	27
9	झारखंड	171	20	0	35	32
10	कर्नाटक	571	158	88	58	97
11	केरल	83	0	21	5	14
12	मध्य प्रदेश	517	115	0	89	65
13	महाराष्ट्र	1186	239	348	11	191
14	मणिपुर	102	0	0	5	22
15	मेघालय	96	26	21	0	14
16	मिजोरम	89	16	0	16	17
17	नागालैंड	111	41	0	20	17
18	ओडिशा	310	65	62	0	68
19	पंजाब	67	0	0	0	6
20	राजस्थान	1025	181	32	221	167
21	सिक्किम	15	0	0	0	6
22	तमिलनाडु	270	100	12	56	32
23	तेलंगाना	330	0	121	0	0
24	त्रिपूरा	65	10	0	10	9
25	उत्तराखंड	65	0	86	163	0
26	उत्तर प्रदेश	612	0	0	24	7
27	पश्चिम बंगाल	163	0	0	0	46
संघ राज्य क्षेत्र						
28	जम्मू और कश्मीर	159	0	0	0	0
29	लद्दाख					0
	कुल	**8214**	**1208**	**1156**	**878**	**1244**

स्रोत: भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय

@तत्कालीन एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अतंर्गत संस्वीकृत, जिसे वर्ष 2015-16सेप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में समाहित कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 से कोई नई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई। 8214 परियाजनाओं में से, 1832 परियोजनाएं 2018 में(345शुरू नहीं की गई + 1487 प्रारंभिक चरण की परियोजनाएं) राज्यों को राज्य निधियों से कार्यान्वित किए जाने हेतु स्थानांतरित की गई।

नोट: 1) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का हाल ही में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में सृजन किया गया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की शुरूआत किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र में नहीं की गई है।

*****